

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/ /2021 लखनऊ::दिनांक::फरवरी, 25, 2021

--आदेश--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह-मार्च-2021 में दिनांक 12.03.2021 को पूर्ण पीठ से संबंधित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री विनय सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 लखनऊ व श्री राजेश कुमार जैन, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 लखनऊ सम्मिलित होंगे।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/25.02.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/457/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 लखनऊ।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 लखनऊ।
3. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. प्रधान सहायक/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/पेशकार/नाजिर मुख्यालय।
5. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।